


उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड
4-सुभाष मार्ग, देहरादून
सं0-205/उ0रा0अ0वि0नि0लि0-08
दिनांक-15 अक्टूबर, 2008

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड के कार्मिकों के प्रबन्धन के सम्बन्ध में प्रख्यापित Uttarakhand State Infrastructure Development Corporation (Engineering And General Services) Service Rules, 2008 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री कमल गुरुरानी, निवासी-165, द्वितीय फ्लोर, बी0एम0के0, गिरी नगर, कालकाजी, नई दिल्ली को लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड के पद (एक मुश्त वेतन रूपये 25000.00 प्रतिमाह) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिये निम्नांकित शर्तों के अधीन सविदा पर नियुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. निगम द्वारा नियमित चयन के समय उक्त तैनाती का लाभ दिये जाने हेतु श्री कमल गुरुरानी द्वारा किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
2. श्री कमल गुरुरानी को निगम द्वारा नियत मासिक एक मुश्त वेतन रूपये 25000.00 (रूपये पच्चीस हजार मात्र) एवं सामान्य यात्रा भत्ता (पदीय सामान्य अनुमन्यता श्रेणी अनुसार) के अतिरिक्त अन्य किसी भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होंगे, किन्तु शासकीय कर्तव्य-पालन के प्रदर्शन अनुरूप ही इनको 5 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि अनुमन्य होगी।
3. श्री कमल गुरुरानी को वर्ष में 14 दिन के आकरिमक अवकाश एवं राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश अथवा अवकाश वेतन देय नहीं होगा।
4. श्री कमल गुरुरानी द्वारा अपना सम्पूर्ण समय उन्हें प्रदत्त कार्यों के लिए सुलभ कराते हुए ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन किया जायेगा जो उन्हें समुनेदेशित किये जायेंगे। साथ ही, सरकारी सेवकों की आचरण नियमावली सहित समय-समय पर विहित नियमों का अनुपालन किया जायेगा।
5. श्री कमल गुरुरानी की तैनाती निम्नानुसार समाप्त की जा सकेगी :-
 - (एक) निगम द्वारा एक कैलेण्डर माह की लिखित सूचना देकर किसी भी समय यदि निगम की शाय में सेवा के दौरान अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निष्पादन हेतु अनुपयुक्त पाया गया हों।
 - (दो) निगम द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के यदि चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर निगम का समाधान हो जाता है कि वह अस्वस्थ है एवं अस्वस्थता के कारण अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए काफी समय तक अयोग्य रहने की सम्भावना है।
 - (तीन) निगम द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के यदि वह किसी प्राविधान अथवा किसी नियम की अवज्ञा या असंयम की दोषी पाये जाये।
 - (चार) इस अनुबन्ध के अधीन तैनाती के दौरान किसी भी समय इनके द्वारा अथवा निगम द्वारा बिना कोई कारण बताए एक माह की लिखित सूचना देकर, परन्तु इस प्रकार के नोटिस के बदले निगम द्वारा इनको अथवा इनके द्वारा निगम को एक माह के नियत वेतन के समतुल्य राशि का संदाय किया जायेगा।


7. श्री कमल गुरुरानी द्वारा तदर्थ/अस्थाई/नियमित चयन के लिए कोई मांग नहीं की जायेगी।
- सविदा पर तैनाती के दौरान श्री कमल गुरुरानी अथवा इनके परिवार के प्रति किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर निगम जिम्मेदार नहीं होगा।
8. श्री कमल गुरुरानी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विभिन्न वार्षिक लक्ष्यों एवं अन्य दायित्वों के परिपेक्ष्य में स्वमूल्यांकन रिपोर्ट प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड को विलम्बतम 30 अप्रैल तक उपलब्ध करानी होंगे।
9. श्री कमल गुरुरानी द्वारा अन्यत्र सेवायोजन हेतु आवेदन निगम के माध्यम/निगम की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।
10. श्री कमल गुरुरानी को निगम के कार्यों के सम्पादन हेतु टेलीफोन, कम्प्यूटर जैसी सामान्य सुविधायें निगम के नियमों के अनुरूप अनुमन्य करायी जायेगी।
11. अनुबन्ध अवधि के दौरान श्री कमल गुरुरानी द्वारा तैयार/प्राप्त किये गये अभिलेख निगम की सम्पत्ति होंगे।
12. श्री कमल गुरुरानी के द्वारा सभी कार्य उच्चस्तरीय व्यावसायिक मानक, नीति अनुरूप क्षमता एवं सत्यनिष्ठा से सम्पादित किये जायेंगे।
13. श्री कमल गुरुरानी की लापरवाही, असावधानी आदि कारणों से निगम को होने वाली हानि/क्षति के लिये वे जिम्मेदार होंगे। ऐसी हानि/क्षति के आकलन का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा जो कि इनके ऊपर बाध्य होगा।
14. कोई भी विवाद देश के कानून से नियंत्रित होगा।
15. किसी ऐसे मामले के संबंध में, जिसके लिये इस कार्यालय ज्ञाप में कोई प्राविधान नहीं किये गये हैं, उनके संबंध में निगम का विनिश्चय अन्तिम होगा।


 (कर्मल (से०नि०) एच०पी० थपलियाल)
 मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना)

प्रष्ठांकन संख्या-205/उ०रा०अ०वि०नि०लि०-08 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री कमल गुरुरानी, 165-द्वितीय फ्लोर, बी०एम०के०, गिरी नगर, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 को अतिशीघ्र योगदान करने हेतु।
5. आयुक्त गढवाल/कुमोंयू, पौड़ी/नैनीताल।
6. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. मुख्य महा प्रबन्धक (वित्त), उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
9. गार्ड पत्रावली।


 (कर्मल (से०नि०) एच०पी० थपलियाल)
 मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना)